

15/11/16

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष 3/4
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली सावित्री आदेश
दिनांक 15/11/16 को पेश मे।

आदेश से रीडर

15/11/16

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष 3/4
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली सावित्री आदेश
दिनांक 17/11/16 को पेश मे।

आदेश से रीडर

17.2.17

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली सावित्री आदेश
दिनांक 19.5.17 को पेश मे।

आदेश से रीडर

23.6.17

पत्रावली कोर्ट को पेश करे ई वला
पर पेश। वकील दादी उपस्थित। बाद
पत्र के लक्ष्य बुरस प्रकार है विधि वादीगण
को ग्राम कोर्टे वला को आ. नं. 2774,
2782, 2783, 2785, 2786, 2787, 5081/2,
785 विधिवादी शवाब 10 बीघा 18 बिन्वा
डोकार वादीगण को वाबजा व वाशत
वला 3 त रहा है।

वादीद्वारा अपने शवाबे की पत्थगदी
दिनांक 13.6.2014 को कोर्टे गदि, मोबा
पर्वी अनुसा आराणा नम्बर 2782, 8786
2787 के शवाबे मे से डेब बिन्वा भूमि
पर प्रतिवादी सभने पत्थर की दीवार
बनाकर वाबजा वाशत के अंत
प्रतिवादी सभ से वादी को वाबजा
स्मिपुद करावे।

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावे जो को

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुकम
में

भवलोत्पन्न विदा गण /

आदेश

वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है तदनुसार भीलवाडा के आदेश दिनांक 27.8.2017 के आराजी नम्बर 2782, 2786, 2782 के अन्तर्गत में से डेढ़ किराना भूमि पर प्रतिवादी सभ ने पत्थर की दीवार बना ली है अतः प्रतिवादी सभ के द्वारा वादी का मुक्ति परनाजापत्र वाबजा कर सूचक हटाया जाय वादी को वाबजा सिपुदे कर

रवत पारके अफला अफलावहन करे

आज दिनांक 23.5.2017 का कोर्ट का आदेश दिनांक 23.5.2017 के कोर्ट के मध्य पर अरेआस सुनाया गया पत्रावली पैरा 10 शुमार हो कर नम्बर से काम हो



सहायक क्लर्क
फास्ट ट्रेक, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेणु मीना आर0ए0एस0

कोर्ट नुम्व कोर्ट इवाला

उनवान

1. श्री मांगू पुत्र मेधा सुमावत सिवारी कोर्ट इवाला

2. श्री लाला पुत्र

बनाम

प्रतिवादी

1- श्री भुरा पिता माँजा सुमावत सि. कोर्ट इवाला
2 - लहरी लदार श्री लवाड़ा

प्रतिवादी

दावा बाबत- 1832 का अ.

मुकदमा नम्बर :- 25/15

निर्णय दिनांक :- 23.6.17

वादी की ओर से उप... की व प्रतिवादी की ओर से... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

लहरी लदार श्री लवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि शाम को इवाला के अ. नं. 2782, 8786, 2787 के खानों में से से डेढ़ बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी स. 01 से फ्लोर की दीवार बनाली है अतः प्रतिवादी स. 01 द्वारा वादी की भूमि पर न. नं. वार 2284 ई. इलाका वार वादी को वाकजा सिपुद वारे।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक क्लर्क